Class - B.A-2 (H)
Paper - III

Prof Khushbu kumari
Guest Teacher,
dept of political Science
V.S.J. college, Rajnagar,
Madhubani (Lnmu)

Topic - मौलिक अधिकार

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)

धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या 4 अनुच्छेदों में की गई है —

(क) चेतना की स्वतंत्रता और स्वतंत्र धर्म विश्वास और प्रचार की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) - यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को अपनी चेतना की स्वतंत्रता अपनाने, अभ्यास और किसी भी धर्म का प्रचार करने की गारंटी देता है। भारत में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन की मनाही की गई है। भारत में सभी धर्म समान हैं तथा राज्य का कोई धर्म नहीं है।

(ख) धार्मिक मामलों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26) — संविधान का अनुच्छेद 26 निर्धारित करता है कि प्रत्येक धर्म का यह अधिकार है कि वह —

(i) धार्मिक और दान हेतु उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उनको चला सकता है।
(ii) धर्म के सम्बन्ध में अपने मामलों का प्रबन्ध कर सकता है।
(iii) चल और अचल सम्पत्ति को प्राप्त कर सकता है
(iv) कानून के अनुसार ऐसी सम्पत्ति का प्रशासन चला सकता है।

Shot on Y15
Scanned with CamScanner

(ग) किसी भी धर्म के विकास के लिए कर न दिए जाने की व्यवस्था (अनुच्छेद 27) - अनुच्छेद 27 के अधीन संविधान यह व्यवस्था करता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसका प्रयोग किसी विशेष धर्म के विकास और स्थापना के लिए खर्च अदा करने के लिए किये जाने की व्यवस्था हो।

(घ) धार्मिक समारोहों में उपस्थित होने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28) — अनुच्छेद 28 किसी भी ऐसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देने की मनाही करता है जो राज्य कोष या राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त करके पूर्ण रूप से स्थापित की गई हो। परन्तु यह व्यवस्था ऐसी शैक्षिक संस्था पर लागू नहीं होती जिसका प्रशासन तो राज्य के द्वारा किया जाता है, परन्तु वह किसी बोर्ड या ट्रस्ट के द्वारा स्थापित की गई हो। कोई भी व्यक्ति जो किसी शिक्षा संस्था में पढ़ता है, को किसी धार्मिक पूजा-पाठ में शामिल होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जो संस्था में करवाई जा रही हो।
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति कुछ विशेष अपवाद हैं। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन ही लागू किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)

इसके अन्तर्गत दो अनुच्छेद हैं—

(क) भाषा, लिपि और संस्कृति के अधिकार को बनाए रखना (अनुच्छेद 29) – भारतीय संविधान यह व्यवस्था करता है कि भारतीय क्षेत्र के किसी भी एक भाग में रहने वाला नागरिकों का एक वर्ग जिनकी अलग भाषा, लिपि या अपनी ही संस्कृति हो, वह इसको बनाए रखने का अधिकारी है यह अधिकार सम्पूर्ण है क्योंकि संविधान में यह नहीं लिखा गया कि राज्य इस पर उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है। इस अधिकार का उद्देश्य है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति को स्थापित रखना और बहुसंख्यक को अपनी भाषा और सभ्यता को अल्पसंख्यकों पर थोपने से रोकना।

(ख) शिक्षा संस्थाओं की स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार (अनुच्छेद -30) – अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत, संविधान निर्धारित करता है कि सभी अल्प-संख्यक चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हैं। अपनी इच्छा की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार रखते हैं। उनको अपनी संस्थाओं में विद्यार्थियों को प्रवेश देने का अधिकार है और अपनी प्रशासकीय सभाओं तथा संबंधित नियमों को पालन करने का अधिकार है।